an>

Title: Need to provide uniform monetary relief to the families of martyred soldiers of armed forces.

श्री हरीश मीना (दौसा) ः मैं सरकार का ध्यान शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली राशि की ओर आकर्षित करवाना चाहूँगा।

देश की रक्षा में आए दिन कई वीर सैनिक अपनी जान की बाजी लगा रहे व लगाते आ रहे हैं। जो सैनिक देश की रक्षा में अपने प्राण त्याग देता है उसकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन हाल ही में देखने में आ रहा है कि इसमें भी भेदभाव किया जा रहा है। कौन किस मुठभेड़ या किस हमले में शहीद हुआ उस हिसाब से हर प्रदेश शहीद के परिवार को मुआवजा तय करती है। हर प्रदेश सरकार अपने राजनीतिक या व्यक्ति-विशेष संकीर्ण कारणों से इसकी घोषणा करती है। कोई प्रदेश 1 लाख देता है तो कोई 1 करोड़। यह भेदभाव गलत व दुखद है।

मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि जो सैनिक चाहे वह रक्षा बल से हो या अर्धसैनिक बल से, जो देश की रक्षा में अपने प्राण त्यागता है ऐसे सैनिकों की "शहीद " परिभाषा तय हो और इन्हें दिये जाने वाले मौद्रिक व अन्य मुआवजे समान हो।

साथ ही केंद्र सरकार सभी राज्यों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर सभी सैनिकों के परिवारों का समांतर मुआवजे तय कर आदेश पारित करें।